उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड

4–सुभाष मार्ग, देहरादून

सं0–196 / उ0रा0अ0वि0नि0लि0–08

दिनांक–14 अक्टूबर, 2008
15

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम के अन्तर्गत कार्मिको के प्रबन्धन हेतु प्रख्यापित Uttarakhand State Infrastructure Development Corporation (Engineering And General Services) Service Rules, 2008 के प्राविधानुसार गठित चयन समिति की संस्तुति एवं उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के पत्र सं0–59 / प्र0नि0कैम्प–अवस्थापना निगम / 08, दिनांक–28 जून 2008 द्वारा प्रदत सहमति के आधार पर श्री राजवीर सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता (वि0 / यां0), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को योगदान देने की तिथि से उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड में आवासीय अभियन्ता (वि0 / यां0) के पद पर तीन वर्ष के लिये कार्मिक विभाग के शासनादेश–4 / जी0आई0 / XXX(2) / 2007, दिनांक–12 मार्च 2007 में निहित प्रतिबन्धो के साथ–साथ निम्न अतिरिक्त प्रतिबन्धो सहित प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति पर श्री राजवीर सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता (वि0 / यां0) को उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड द्वारा निर्धारित वेतनमान रूपये 8000-13500, मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होगें।
2. श्री राजवीर सिंह को प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा, किन्तु वेतन संरक्षण का लाभ दिया जायेगा।
3. प्रतिनियुक्ति के दौरान ड्यूटी पर सामान्य यात्रा भत्ता, पदीय सामान्य अनुमन्यता श्रेणी अनुसार देय होगा।
4. प्रतिनियुक्ति के दौरान पैतृक विभाग में प्रतिनियुक्ति से पूर्व लागू अवकाश एवं पेंशन के नियम लागू रहेंगें।
5. प्रतिनियुक्ति के दौरान पैतृक विभाग में भविष्य निधि एवं सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत का अंशदान जारी रखेंगे।
6. पैतृक विभाग से पुष्टि होने पर पैतृक विभाग के नियमो के अनुसार अवकाश यात्रा सुविधा पाने के पात्र होंगें।
7. पैतृक विभाग के नियमो के अनुसार चिकित्सा सुविधा पाने के पात्र होंगें।
8. प्रतिनियुक्ति अवधि किसी भी समय घटाई, बढ़ाई अथवा समाप्त की जा सकती है।
9. किसी ऐसे मामले के संबंध में, जिसके लिये इस कार्यालय ज्ञाप में कोई प्राविधान नहीं किये गये हैं, उनके सम्बन्ध में उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम का विनिश्चय अन्तिम होगा।

श्री राजवीर सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता (वि0 / यां0) को निर्देशित किया जाता है, कि वे तत्काल कार्यमुक्त होकर प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड, देहरादून के समक्ष अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करें।

15/10

(कर्नल (से0नि0) एच0पी0 थपलियाल)
मुख्य महाप्रबन्धक (परियोजना)

सं0–196 / उ0रा0अ0वि0नि0लि0–08 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड।
2. प्रमुख सचिव / सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री राजवीर सिंह, 134, मॉडल कालोनी, आराघर, देहरादून को अतिशीघ्र योगदान करने हेतु।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, 11–मोहिनी रोड, देहरादून।
6. आयुक्त गढवाल / कुमॉयू, पौडी / नैनीताल।
7. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्य महा प्रबन्धक (वित्त), उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
10. गार्ड पत्रावली।

15/10

(कर्नल (से0नि0) एच0पी0 थपलियाल)
मुख्य महाप्रबन्धक (परियोजना)